रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम०14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 11 मई, 1991/21 बैशाख, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अप्रैल, 1991

सं० 9-4/73-एस०आई० (नियम)-4.—इस विभाग की अधिसूचनाएं सं० 9-4/73-एस०आई० नियम-1, दिनांक 4-10-76, नियम 9-4/73-एस०आई०-4, दिनांक 14 मई, 1980, सं० 10-27/71-एस०आई०, दिनांक 28 अगस्त, 1984 और सं० 9-4/73-एस० आई०-5, दिनांक 5 जनवरी, 1985, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में संशोधित नियम, 1991 को संलग्न अनुबन्ध के अनुसार बनाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

973-राजपत्र/91-11-5-91—1,303.

मूल्य: 1 रुपया।

1. संक्षिप्त नाम और प्रसार :

1.1 इन नियमों के संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन देने के संशोधित नियम 1991 है । यह 1-4-1991 से (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम दिन कहा गया है) प्रवृत होंगे ।

1.2 पात्रता:—

(क) नई औद्योगिक इकाईयों तथा नई लघु सेवा संस्थाओं जैसे कि इन नियमों में परिभाषित है, उन प्रोत्साहनों की पात्र होंगी जो इन नियमों में उल्लेखित है । विद्यमान इकाईयां इन निययों के अधीन सभी नये प्रोत्साहनों के लिये हिमाचल प्रदेश में नई और पूर्व स्थापित औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में संशोधित नियम, 1984 के अध्यधीन इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में पात्र होंगी;

(ख) इसमें इसके पश्चात् नियमों में आने वाले प्रोत्साहन नई और विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध कराये जायेंगे । जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार को वेदैकिक शक्तियों के अधीन इन नियमों में यथा परिभाषित लघु सेवा स्थापन भी होंगे और अत: वे हिमाचल प्रदेश सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में प्रवर्तगीय कोई दावा नहीं रखते हैं ।

2. परिभाषाएं :

2.1 इन नियमों में जब तक की सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों :—

(क) "केन्द्रीय विक्रय कर" से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उदग्रहणीय कर अभिप्रेत है;

(ख) "प्रभावी कदमों" से इन नियमों के खण्ड 5(4)(1) ग में दर्शाये गए कदम अभिप्रेत हैं;

(ग) "विद्युत शुल्क" से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत शुल्क अभिप्रेत है;

(घ) "विद्यमान इकाईयों से वह इकाईयां अभिप्रेत है" जिन्हें नियत दिन से पूर्व संस्थित किया गया और उनमें उत्पादन शुरू हो गया था ;

(ङ) विस्तारण/विविधता से किसी इकाई द्वारा किसी अतिरिक्त मद के उत्पादन के लिए उसके विद्यमान पूंजी निवेश के ऊपर अतिरिक्त निर्धारित पूंजी निवेश का कम से कम 25 प्रतिशत या विद्यमान उत्पादन में संस्थित/अनुज्ञापित धारिता के 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी अभिप्रेत है;

(च) निर्यात करने वाली इकाई से ऐसी औद्योगिक इकाई, जिसे उसके उत्पाद का निर्यात करने के लिए लगाया गया है और जिसे केन्द्रीय सरकार के आयात/निर्यात पालिसी में समय-समय पर परिभाषित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार सम्यक रूप से अनुमोदित/रजिस्ट्रीकृत इकाई अभिप्रेत है;

(छ) "सम्भावयत: रिपोर्ट" से हिमाचल प्रदेश सरकार/निदेशक उद्योग द्वारा अनुमोदित सलाहकार या एजैंसी द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना को आर्थिक और तकनीकी सम्भावयता पर दी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ज) वित्तीय संस्थान के अन्तर्गत सभी अनुसूचित बैंक हिमाचल प्रदेश वित्त निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, आई0एफ0सी0आई0, आई0सी0आई0सी0 आई0 नैवार्ड या अन्य संस्थान जिन्हें भारत सरकार द्वारा सुसंगत अधिनियम के अधीन वित्तीय संस्थान घोषित किया गया हो, अभिप्रेत है;

(झ) निर्धारित पूंजी निवेश एफ0सी0 आई0 5 से किसी औद्योगिक इकाई द्वारा भूमि, भवन, मशीनरी, और संयन्त्र पर किया गया वास्तविक निवेश या विस्तारण, आधुनिकीकरण विविधता प्रक्रिया क अधीन किसी इकाई द्वारा की गई अतिरिक्त निर्धारित पूंजीनिवेश अभिप्रेत है;

(ण) "साधारण विक्रय कर" से सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार विक्रय कर अधिनियम, 1968 के अधीन उदग्रहणीय कर अभिप्रेत है;

(ट) "जैनरेटिंग सैट" किसी औद्योगिक इकाई द्वारा अपनी फैक्टरी को चलाने के लिए, संस्थित ग्रहीत (कैपटिव) चल ऊर्जा संयन्त्र अभिप्रेत है;

(ठ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ड) "सरकारी भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार और अभिधृति अधिनियम, 1972 के अधीन परिभाषित है;

(ढ) "औद्योगिक क्षेत्र" से सरकार द्वारा औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए अर्जित क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत भूमि के विकसित प्लाट भी है । इस प्रयोजन के लिए विकसित प्लाट से ऐसे प्लाट अभिप्रेत हैं जिनमें प्लाट तक उप-मार्ग, जल प्रदाय, सीवरेज और ऊर्जा के प्रावधान है परन्तु स्थल विकास इस में सम्मिलित नहीं है । औद्योगिक एस्टेट से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें औद्योगिक इकाईयों को संस्थित करने के लिये सरकार द्वारा उद्यमियों को आबंटित करने के लिए निर्मित शैड समाविष्ट है ;

(त) "औद्योगिक शैड" से औद्योगिक एस्टेट/औद्योगिक क्षेत्र में स्थित निर्मित संरचना अभिप्रेत है;

(थ) "नई औद्योगिक इकाई" से हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जिसमें नियत दिन को या इसके पश्चात् उत्पादन शुरू हो जाता है और इसके अन्तर्गत ऐसी विद्यमान ईकाई भी है जो विकास आयुक्त लघु उद्योग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नई रजिस्ट्रेशन की पात्र है । परन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी छोटी, मध्यम वर्ग की या बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं है जिसे पुर्नस्थापन के परिणामस्वरूप केवल स्वामित्व के परिवर्तन, संविधान के परिवर्तन, विद्यमान ईकाई के पुर्ननिमाण या उसे पुनर्जीवन देने के लिए निर्मित किया गया हो;

(द) "अनिवासी भारतीय" अभिप्रेत है भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के व्यक्ति और भारती विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1978 की धारा 2 के अधीन परिभाषित और उनके समुद्रपार निगमित निकाय जिनका कम से कम 60 प्रतिशत तक का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रयत्क्ष रूप से भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों के पास था, इस प्रकार घोषित या जो भारत सरकार द्वारा इस प्रकार परिभाषित किये जा सकेंगे;

(ध) छोटे, लघु, आनुषांगिक, मध्यम या बड़ी औद्योगिक ईकाईयों का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया गया हो;

(न) "प्राईवेट सीमित कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित प्राईवेट कम्पनी अभिप्रेत है;

(प) "सार्वजनिक सीमित कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथा परिभाषित सार्वजनिक, (पब्लिक) कम्पनी अभिप्रेत है ;

(फ) "लघु सेवा स्थापन" से सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित लघु स्थापन अभिप्रेत है; और

(ब) "बीमार औद्योगिक इकाईयों" का अभिप्राय: भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा समय समय पर परिभाषित करने से है।

3. सम्भावयत: रिपोर्ट तैयार करने की कीमत पर अनुदान :

3.1 औद्योगिक इकाईयों को अनुदान निम्नलिखित रूप में अनुज्ञेय होगी :—

(क) लघु उद्योग की दशा में जहां सम्भावयता रिपोर्ट उद्यमी द्वारा तैयार की जानी है वहां प्रत्येक मामले में 15000 रुपये अधिकतम के अध्यधीन खर्चे का 75 प्रतिशत;

(ख) मध्यम और बड़ी इकाई के उद्योगों के मामले में सम्भावयता रिपोर्ट को तैयार करने के खर्चे का 75 प्रतिशत या एक लाख रूपये अधिकतम के अध्यधीन भूमि, भवन, संयन्त्र और मशीनरी में परियोजना की पूंजी लागत का 1 प्रतिशत इन दोनों में से जो भी कम हो :

3.2 परन्तु यह अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञेय होगा :—

(क) आवेदन किसी भी इकाई को स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाते समय विहित आवेदन प्रपत्र पर आवेदन करेगा; और

(ख) लघु इकाई के उद्योगों की दशा में सम्भावयता रिपोर्ट को निदेशक उद्योग द्वारा अनुमोदित तकनीकी सलाहकार द्वारा और मध्यम और बड़ी इकाई के उद्योग की दशा में सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा तैयार किया जायेगा । उक्त समिति सचिव उद्योग अध्यक्ष, निदेशक उद्योग सदस्य सचिव प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश, वित्तीय निगम से गठित होगी । अध्यक्ष, किसी भी तकनीकी विशेषज्ञ को बुला सकेगा । निदेशक उद्योग या कथित व उक्त समिति यथा स्थिति, सम्भावयता रिपोर्ट का विनिश्चय/समीक्षा और अनुमोदन करेगी और मंजूरी के लिए अनुदान की मात्रा अवधारित करेगी । निदेशक उद्योग आवेदक द्वारा विहित आवेदन प्रारूप पर आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना पर मन्जूर की गई अनुदान की राशि को संवितरण करेगा । परन्तु ऐसा संवितरण इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के पश्चात् ही किया जायेग ।

4. औद्योगिक क्षेत्र :

4.1 सरकार या सरकारी निगम द्वारा संस्थित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र की ए0, बी0 और सी0 वर्गों के क्षेत्रों में बांटा जायेगा जो विभिन्न विकास खण्डों में स्थित होंगे और इसके लिए निम्नलिखित परिमापों को ध्यान में रखा जायेगा ।

(क) साथ लगते पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों (शिमला जिला को छोड़कर) की सीमा से दूरी;

(ख) उस खण्ड में विद्यमान औद्योगिक विकास और औद्योगिक पिछड़ेपन का विस्तार;

(ग) खण्ड के सम्पूर्ण पिछड़ेपन का विस्तार; और

(घ) स्थानीय लोगों के रोजगार नियोजन की सम्भावना का विस्तार।

4.2 उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर राज्य में विद्यमान विकास खण्डों को ए0, बी0 और सी0 वर्गों के औद्योगिक खण्डों में बांट दिया गया है जैसा कि उपबन्ध I में है।

5. औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन :

5.1 राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को उपबन्ध I के अनुसार ए0, बी0 और सी0 के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है । औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि को राज्य में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये आवंटित किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि 5000 वर्ग मीटर अधिकतम क्षेत्र के अध्ययन पट्टे के आधार पर 95 वर्षों के लिए आबंटित किया जायेगा । पट्टे पर दी गई भूमि के प्रिमीयम का 10 प्रतिशत जैसा कि अवधारित किया गया हो भूमि के आवंटन के समय देय होगा और शेष 90 प्रतिशत समान दस वार्षिक किश्तों पर देय होगा ।

5.1.1 आस्थान संदाय पर प्रभावित ब्याज समय-समय पर सरकार या निगम द्वारा निहित किया जायेगा। फिर भी यदि कोई पक्षकार समस्त राशि का भुगतान एक मुश्त करना चाहता है तो यह किश्तों के लघुकरण द्वारा स्वीकार्य होगी परन्तु सहायता के निबन्धन और शर्तें समान रहेंगी ।

5.2 पट्टे पर दी गई भूमि प्रीमयिम .—पट्टे पर दी गई भूमि पर प्रीमियम निम्न रूप से अवधारित किया जायेगा :—

(क) ए वर्ग औद्योगिक क्षेत्र .—प्रीमियम 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की या विभाग द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई पर दर आबंटित किया जायेगा।

(ख) बी वर्ग औद्योगिक क्षेत्र .—इन क्षेत्रों के लिए भूमि 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर या विभाग द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई दर पर आबंटित की जायेगी।

प्रीमियम की दर किश्त पर कोई ब्याज नहीं लगेगा परन्तु व्यतिक्रमिक किश्तों के लिये 8 प्रतिशत प्रति वर्ष या यथास्थिति सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई दर पर ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

(ग) सी वर्ग औद्योगिक क्षेत्र .—भूमि न लाभ न हानि आधार पर पट्टे पर दी जायेगी। बिना लाभ या हानि की संगणना का निम्न आधार होगा।

5.2.2 (क) भूमि अर्जन की कीमत :

(ख) विकास की कीमत .—विकास की कीमत, प्लाट तक के लिए पूर्वानुमानित रास्ते, जल प्रदाय, सीवरेज और ऊर्जा के सावधान के लिए वास्तविक या पूर्वानुमानित खर्चा अभिप्रेत है परन्तु स्थान का विकास इसमें सम्मिलित नहीं है ।

(ग) इस पत्रकार उपरोक्त रीति से निकाली गई कुल लागत प्रो-रेट प्लाट क्षेत्र प्रिनियम प्रति वर्ग मीटर आबंटित की जायेगी । पक्षकार को संसूचित और पट्टे के करार में लिखित भूमि का प्रीमियम उस पट्टे के करार के लम्बित रहने के दौरान वही रहेगा । सी वर्ग के क्षेत्रों में प्रीमियम की किश्त पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। परन्तु व्यतिक्रमी 10 प्रतिशत वार्षिक दर से या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज प्रभारित किया जायेगा ।

5.3 प्लाट के लिए आवेदन :

5.3.1 प्लाट के आवंटन के लिये आवेदन विदित प्रारूप में निदेशक उद्योग/महा-प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को, जैसी भी स्थिति हो किया जायेगा । आवेदक को ए0 बी0 और सी0 वर्गों के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवेदन फीस क्रमशः 1000, 1500 और 2000 रुपये की दर से देनी होगी । प्लाट को अस्थाई रूप में एक अवधि के लिए आबंटित किया जायेगा और आवेदक को कब्जा दे दिया जायेगा । इससे पूर्व कि विभाग और आबंटितों के मध्य नियमित करार अभिलेख बनाया जायेगा आबंटित निम्नलिखित प्रभावी कदम उठायेगा ।

5.4 प्रभावी कदम :

5.4.1 प्रभावी कदमों से अभिप्रेत है :—

(क) उस परियोजना को यथा लागू राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के सभी आवश्यक अनुमोदन/रजिस्ट्रेशन अभिप्राप्त करना है, जिसके लिए आवंटन पर विचार किया गया है ; और

(ख) अनुमोदित परियोजना के लिए वित्तीय संस्थान से मंजूरी पत्र की फोटो प्रति के साथ ऋण की मंजूरी प्राप्त करना ।

5.4.2. यदि सरकार पूर्वी पट्टे के करार के किसी निबन्धन या शर्त या उन शर्तों या निबन्धनों को, जिन्हें विभाग ने आवंटन के समय विशेषतया शामिल किया है, पूरा करने में असफल रहता है तो पट्टे को खारिज कर दिया जाये । ऐसी दशा में प्लाट का कब्जा स्वतः ही उद्योग विभाग के पास चला जायेगा और इस निमित कोई अपील सुनी नहीं जायेगी।

6. उद्यमियों के समूह के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना :

6.1 जहां 10 या इससे अधिक सम्भावी उद्यमी सरकार के पास औद्योगिक समूह विकास स्कीम को उत्तर-दायित्व लेने के लिए जाते हैं तो सरकार उनके लिए समुचित स्थानों पर पूर्वारूप से कोई औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट स्थापित कर सकेगी और इसके लिए वह उनकी विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का समयबद्ध और शीघ्रकृत रीति में ध्यान रखेगी ।

7. औद्योगिक एस्टेटों में शैडों का आबंटन :

7.1 उपबन्ध-I में अधिसूचित क्षेत्रों में उनके उद्यमियों को किराये के आधार पर स्थापित प्रवर्ग ब्लाक के लिए औद्योगिक शैड भी उपलब्ध करवाये जायेंगे । प्रवर्ग-सी में किराया, निर्धारित किराए का 100 प्रतिशत प्रभारित किया जायेगा । प्रवर्ग-बी से किराया शैड के निर्धारित किराये का 40 प्रतिशत प्रभारित किया जायेगा ।

श्रेणी—"क" के लिए किराया शैड के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत प्रभारित किया जायेगा । आबंटन के समय तीन महीने का अग्रिम किराया लिया जायेगा । आवेदन फीस 1000 रुपये 1500 और 2000 रुपये "क", "ख" और "ग" श्रेणी के लिये औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्रों में क्रमशः ली जायेगी जिसका कि प्रतिदाय नहीं होगा, और जिसका कि समायोजन नहीं होगा । आबंटन के अन्य निबन्धन और शर्तें विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी ।

7.2 उद्यमियों को इन शैडों के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर अब क्रय का विकल्प भी दिया जा सकेगा ।

8. उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण:

8.1 उक्त अधिनियम के विस्तृत प्रयोजनों के लिए जैसा कि भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में परिभाषित है, लघु इकाई, मध्यम और बड़े सैक्टर के लिए औद्योगिक इकाईयां को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने हेतु विभाग औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए भूमिका अधिग्रहण करेगा । अधिग्रहण ऐसे निबन्धन और शर्तों पर होगा जैसा कि विभाग समय-समय पर सुनिश्चित करेगा । अधिग्रहण की समस्त कीमत सम्बन्धित इकाई द्वारा वहन की जायेगी ।

9. औद्योगिक उद्योग के लए निजी भूमि का क्रय :

9.1 पात्र मामले में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी जहां उद्योग विभाग का समाधान हो जाता है कि नये उद्योग स्थापित करने के लिए निजी भूमि अपेक्षित है : समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश लैण्ड रिफार्म एण्ड टैनेन्सी ऐक्ट, 1972 की प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन किया जायेगा । विभाग आवश्यक अनुमोदन/भुगतान को प्राप्त करने के लिए समय-बद्ध रीति से प्रयत्न करेगा ।

(1) आवेदन को कलैक्टर से तहसीलदार या नायब-तहसीलदार को पहुंचाने के बारे में चाहे जैसी भी स्थिति हो सात दिन की समयावधि के अन्दर पहुंचाना सुनिश्चित करेगा ।
(2) यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन को तहसीलदार ने सम्यक रूप से सत्यापित और हर प्रकार से पूर्ण करके 20 दिन के अन्दर कलैक्टर को वापिस कर दिया है ।
(3) यह सुनिश्चित करेगा कि कलैक्टर ने आवेदन/मामले को अपनी सिफारिशों सहित मण्डल आयुक्त को 10 दिनों के समय के अन्दर भेज दिया है ।
(4) यह सुनिश्चित करेगा कि मण्डल आयुक्त ने मामला सरकार को 10 दिनों के समय के अन्दर अपनी सिफारिशों सहित भेज दिया है ।

10. विद्युत के लिए दी जाने वाली रियायतें ।

10.1 औद्योगिक ब्लाक को क, ख और ग श्रेणी में स्थित उद्योगों में टैरिफ की बढ़ौतरी का विनियमन, नई इकाईयों में निम्नलिखित रूप से किया जायेगा । जो राशि औद्योगिक विद्युत टैरिफ की बढ़ौतरी के कारण दी गई हो, उसकी प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग द्वारा निम्न सारणी के अनुसार की जायगी ।

औद्योगिक खण्डों का वर्ग	ए	बी	सी
शक्ति भार			
औद्योगिक इकाईयों/20 कि. वाट तक भार के साथ	4 वर्ष	5 वर्ष	3 वर्ष
" 21 कि. वा. से 100 कि. वाट तक	4 वर्ष	3 वर्ष	2 वर्ष
औद्योगिक खण्डों का वर्ग	ए	बी	सी
" 101 कि. वा. से 500 कि. वा. तक	3 वर्ष	2 वर्ष	1 वर्ष
" 500 कि. वा. से ऊपर	2 वर्ष	1 वर्ष	शून्य

10.2 नियुक्ति दिवस से वशवर्ती विद्युत उत्पादन औद्योगिक सैटों/पन बिजली/सयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत पर औद्योगिक इकाईयों के सभी वर्गों (नई औद्योगिक इकाईयों और वर्तमान इकाईयों) से कोई बिजली कर वसूल नहीं किया जायेगा ।

11. बिक्री कर प्रोत्साहन :

11.1 बिकी कर छूट/स्थगन

(क) योग्यता :

उपाबन्ध-3 में यथा अधिसूचित या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित उद्योगों के सिवाय उन सभी नई औद्योगिक इकाईयों को जो हिमाचल प्रदेश राज्य साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन व्यवहारी के रूप में पंजीकृत है, निम्नलिखित विक्रय कर प्रोत्साहन अनुज्ञेय होंगे तथापि यह इन्हें केवल उन इकाईयों द्वारा तैयार किए गए माल के विक्रय पर ही उपलब्ध होंगे ।

(ख) हकदारी की मात्रा :

1. राज्य में स्थित इकाईयों को बिक्री कर आस्थगन विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन जैसी कि निम्नलिखित सारणी में दर्शित है, उपलब्ध होंगी :—

सारणी-1

औद्योगिक ब्लाकों की श्रेणियां	लघु उद्योग	मध्यम व बड़े उद्योग	कुल समय जिसमें रियायत उपलब्ध करवाई जायेगी
1	2	3	4
"क"	सावधि पूंजी निवेश का 400 प्रतिशत	7 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर सावधि पूंजी का 200 प्रतिशत	9 वर्ष

1	2	3	4
"ख"	सावधि पूंजी निवेश का 200 प्रतिशत	5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर सावधि पूंजी निवेश का 125%	7 वर्ष
"ग"	सावधि पूंजी निवेश का 125 प्रतिशत	4 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर सावधि पूंजी निवेश का 100%	6 वर्ष

11.2 प्रत्येक इकाई, विक्रय कर आस्थगन स्कीम के अधीन उपर्युक्त सारणी 1 में विनिदिष्ट रियायत की अवधि के दौरान, की गई बिक्री के विरुद्ध सामान्य दर से बिक्री कर वसूल करेगी जिसे वह बिक्री कर प्राधिकारियों के पास निम्नलिखित तरीके के अनुसार जमा करवायेगी ।

प्रतिसंदाय की अवस्था		प्रतिसंदाय की राशि और वर्ष
एक वर्ष की समाप्ति पर	उत्पादन की तारीख से	शुन्य कोई प्रतिसंदाय नहीं
दो वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	शुन्य ---यथोपरि---
तीन वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	शुन्य ---यथोपरि
चार वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	प्रथम वर्ष के दौरान वसूल की गई प्रतिसंदाय की राशि
पांच वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	दूसरे वर्ष के दौरान वसूल की गई प्रतिसंदाय की राशि
छः वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	तीसरे वर्ष के दौरान वसूल की गई प्रतिसंदाय की राशि
सात वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	चौथे वर्ष के दौरान वसूल की गई प्रतिसंदाय की राशि
आठ वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	पांच वर्ष के दौरान वसूल की गई प्रतिसंदाय की राशि
नवें वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	छः वर्ष के दौरान वसूल की गई प्रतिसंदाय की राशि
दसवें वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	सात वर्ष के दौरान वसूल की गई प्रतिसंदाय की राशि
ग्याहरवें वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	आठ वर्ष के दौरान वसूल की गई प्रतिसंदाय की राशि
बारहवें वर्ष की समाप्ति पर	---यथोपरि---	नौ वर्ष के दौरान वसूल की गई प्रतिसंदाय की राशि

11.3 (क) नियमों में यथा उपबन्धित कर आस्थगन की सीमा तक पहुंचने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित के संकलन को आधार माना जायेगा :

(1) कर की संकलित राशि जिससे विक्रय पर अधिभार भी सम्मिलित है जो हिमाचल प्रदेश सामान्य कर अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अधीन उदग्रहनीय होनी थी; और

(2) अन्तर्राजीय विक्रयों पर कर की राशि का संकलन जिसमें अन्तर्राजीय करों पर अधिभार भी सम्मिलित है, उदग्रहनीय है यदि यह केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन उदग्रहनीय होता हो ।

(ख) नियमों में निर्धारित कर आस्थगन की सीमा जब समाप्त हो जाये तो उसके उपरान्त सारे विक्रय पर कर सम्बद्ध नियमों के अनुरूप लगाया जायेगा ।

(ग) इन नियमों के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाईयों को प्रत्येक वर्ष 30 जून को उद्योग विभाग के निर्धारण प्राधिकारी के पास यथार्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । ऐसा न करने पर इकाई इन नियमों के अधीन विक्रय कर प्रोत्साहन प्राप्त करने का अधिकार खो देगी और उस पर कर का निर्धारण पूर्ण दर से होगा ।

(घ) प्रोत्साहन तभी उपलब्ध होगा जबकि उत्पादित माल स्वयं उत्पादकों द्वारा या हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 के अधीन/पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा बेचा गया हो और जब निर्धारण प्राधिकारी के पास, आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा अधिसूचित निर्धारित प्रपत्र पर, घोषणा-पत्र दिया जावे जो सम्यक रूप से भरा गया हो व हस्ताक्षरित हो तथा जिसमें यह घोषित किया गया हो कि उत्पादक इन नियमों के अधीन प्रदान किये गए विक्रय कर प्रोत्साहनों का हकदार है और माल स्वयं उत्पादक द्वारा उत्पादित किया गया है।

11.4 औद्योगिक इकाईयों द्वारा अनुसूची-4 में दी गई मदों के उत्पादन पर नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के लिए एक प्रतिशत की दर से केन्द्रीय विक्रय कर प्रभारित किया जायेगा यदि वे समनुदेशित आधार पर या शाखा अन्तरण आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर माल अन्तरित न करे अनुसूची-4 में दी गई मदों और बिक्री कर की दर में परिवर्तन/विविधता, जोड़ना या निकाल देना सरकार की आबकारी एवं कराधान, वित्त और उद्योग विभागों की एक कमेटी द्वारा किया जायेगा ।

12. ब्याज की दर पर अनुदान :

12.1 छोटी इकाईयां द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय संस्थान/अनुसूचित बैंकों से प्राप्त अवधि ऋणों पर ब्याज की दर अवधि उधार दर से 3 प्रतिशत कम होगी । किश्तों की अदायगी में स्वेच्छापूर्ण चूक होने पर यह अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा।

12.2 वित्तीय संस्थानों अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रभार्य अवधि ऋण के ब्याज की दर और उपर्युक्त वर्णित रीति से देयदर के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति निदेशक उद्योग/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, यथा स्थिति द्वारा ऐसे संस्थानों/बैंकों को की जायेगी ।

13. उत्पादन सैट पर अनुदान:

13.1 जहां प्रश्नगत इकाई राज्य/केन्द्रीय अनुदान की स्वीकार्य सीमा को पहले ही व्यय कर चुकी हो, उसे उत्पादन सैटों के कुल क्रय मूल्य का 15 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये होगी, का निवेश अनुदान वंशवर्ती डी० जी० सैटों की स्थापना के लिए दिया जायेगा ।

14. मानव शक्ति विकास:

14.1 उन औद्योगिक इकाईयों के लिए जो पहले से ही उत्पादन कर रही है मानवशक्ति के विकास के लिए अनुदान दिया जायेगा और उनके श्रमिकों को (जो चिन्हित अन्तोदय, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित परिवारों से लिए गये हों) उनकी कुशलता बढ़ाने के लिये तकनीकी प्रशिक्षण हेतु राज्य से बाहर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों या रजिस्टर्ड/अनुज्ञाप्त इकाई को भेजा जायेगा। यह अनुदान तभी दिया जायेगा जबकि इकाई इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दे कि ऐसे सभी प्रशिक्षित श्रमिक उनके द्वारा, उनके प्रशिक्षण के पश्चात् कम

से कम 3 वर्ष की अवधि के लिये नियोजित किए जायें । प्रत्येक इकाई को प्रशिक्षण की अवधि के लिए, प्रशिक्षण की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिये 500 रुपये जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है प्रतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक इकाई को दिये जायेंगे।

15. सरकारी/अर्धसरकारी/स्वशासी निकाय को मूल्य अधिमान :

15.1 हिमाचल प्रदेश में लघु औद्योगिक इकाईयों के उत्पादों पर सरकारी विभागों/अर्धसरकारी निकायों द्वारा किए जान वाले क्रय के विषय में 15 प्रतिशत मूल्य अधिमान दिया जायेगा।

15.2 हिमाचल प्रदेश में मध्यम इकाईयों के उत्पादों पर भी इसी प्रकार 3 प्रतिशत तक समान मूल्य अधिमान उपलब्ध करवाया जायेगा

16. विशेष श्रेणी के उद्यमियों को प्रोत्साहन—लघुतर एवं लघु इकाईयों लगाने हेतु।

16.1 विशेष श्रेणी के उद्यमी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिलायें, भूतपूर्व सैनिक शारीरिक रूप से विकलांग, अन्तोदय व एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क अन्तर्गत आने वाले परिवारों को जो नई इकाईयां स्थापित करें, वे इन नियमों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रोत्साहनों/सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रोत्साहन/सुविधाओं के, जब तक कि अन्यथा विनिदिष्ट न हो, पात्र होंगे :

(क) विशेष पूंजी निवेश अनुदान नियत आस्तियों पर ऐसे उद्यमियों को राज्य कोष से साधारण श्रेणी के उद्यमियों को स्वीकार्य केन्द्रीय/राज्य निवेश अनुदान सहायता से अधिक लघुतर इकाईयों की स्थापना के लिए 10 प्रतिशत विशेष निवेश अनुदान के रूप में अनुमत्त की जायेगी;

(ख) योजना लागत के अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक या 50,000 जो भी कम हो ऐसे उद्यमियों को समानान्तर आधार पर एक प्रतिशत की दर से सीमांत धन उपलब्ध किया जायेगा;

(ग) ऐसे उद्यमियों के लिए सावधि ऋण पर ब्याज की दर निजी क्षेत्र में लागू सावधि ऋण की दर से 3 प्रतिशत कम होगी । सावधि ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की वास्तविक दर के अन्तर की प्रतिपूर्ति (नैबार्ड/एस0आई0डी0बी0आई0/आई0डी0बी0आई0 या अन्य दूसरे वित्तीय संस्थानों से रिफाईनैन्स प्राप्त करने के उपरांत) राज्य सरकार द्वारा सीधे तौर पर वित्तीय संस्थानों को की जायेगी;

(घ) ऐसे उद्यमियों को 90 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये होगी व्यवहार्य रिपोर्ट को तैयार करने के लिए दिया जायेगा;

(ङ) ऐसे उद्यमिमों को मशीनों की स्थापना और वहन के लिये 100 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा;

(च) ऐसे उद्यमियों को औद्योगिक शैड बनाकर सस्ती दरों पर आवंटित किए जायेंगे । यह दरें श्रेणी क, ख, ग विकास खण्डों के लिए क्रमश: निर्धारित किराये की 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत होगी; और

(छ) ऐसे उद्यमियों से श्रेणी "ग" औद्योगिक खण्डों के औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाटों के आवंटन के लिये निर्धारित प्रीमियम की अनुमानित दर का 75 प्रतिशत प्रभार्य होगा । औद्योगिक क्षेत्र क "ख" और "क" खण्डों में उद्यमियों को क्रमश 30 रुपये प्रति मीटर और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से औद्योगिक प्लाट आबंटित किये जायेंगे।

17. अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन :

17.1 जो अनिवासी भारतीय राज्य में नई इकाई स्थापित करें उन्हें इन नियमों में नई औद्योगिक इकाई

लगाने हेतु विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जायेंगी :—

(क) राज्य सरकार के उद्योग विभाग या दूसरे निगम द्वारा विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में बिना पारी के भूमि का आबंटन किया जायेगा;

(ख) अनिवासी भारतीय द्वारा स्थापित नई परियोजनाओं को वह सब विक्रय कर रियायतें दी जायेंगी जो लघु औद्योगिक इकाईयों को नियम 11.1 (ख) के अन्तर्गत दी गई हैं; और

(ग) सरकार की समूची नीति के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित की जाने वाली मध्यम व बड़ी परियोजनाओं का शीघ्र अनुमोदन/निपटान किया जायेगा।

(घ) हिमाचल प्रदेश वित्त निगम/हिमाचश प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक अनिवासी भारतीयों के ऋण से सम्बन्धित मामलों को निर्धारित नियमों के भीतर शीघ्र निपटायगे ।

नोट.—अनिवासी भारतीय (NRI) प्रवर्तकों का कम्पनी/इकाई में अधिकांश स्वामित्व होना चाहिए।

18. प्राथमिकता उद्योग :

18.1 अनुबन्ध-II में दिए गए प्राथमिकता उद्योगों के अन्तर्गत आने वाली नई औद्योगिक इकाईयां निम्नलिखित पैकेज के लिए पात्र होंगी।

(क) प्राथमिकता उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रों/एस्टेटों में प्लाटों/शैडों के लिए बिना पारी के आवंटन के लिए हकदार होंगे विनिर्दिष्ट प्राथमिकता उद्योगों, जिसका स्थापन अनुबन्ध-5 के अनुसार किया जाना है, से औद्योगिक क्षत्रों/सम्पदाओं में भूमि का मूल्य रियायती दर पर औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदाओं के अन्तर्गत श्रेणी "क" खण्ड के समतुल्य लिया जायेगा;

(ख) औद्योगिक खण्डों के किसी प्रवर्ग में स्थित ऐसी औद्योगिक इकाईयों को, ऐसी इकाईयों में वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए, सामान्य विक्रय कर/केन्द्रीय विक्रय कर के संदाय से छूट दी जायेगी; और

(ग) केन्द्रीय निवेश अनुदान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित औद्योगिक इकाईयों को अनुज्ञेय होंगी जिनके अन्तर्गत प्राथमिकता उद्योगों के प्रवर्ग में आन वाली इकाईयों भी है। तथापि प्राथमिकता उद्योगों के प्रवर्ग में आने वाली ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो केन्द्रीय निवेश अनुदान स्कीम के अन्तर्गत नहीं है, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए राज्य निवेश अनुदान की हकदार होगी :—

(1) पात्र इकाईयों की कुल पूंजी लागत पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(2) श्रेणी "क" और "ख" औद्योगिक, खण्डों में स्थापित इकाईयां परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा क्रमशः 75,000 रुपये और 50,000 रुपये है, की पात्र होंगी।

नोट.—निवेश अनुदान की स्वीकृति और संवितरण केन्द्रीय निवेश अनुदान निर्देशिका के उपबन्धों द्वारा विनियमित की जायेगी।

(घ) हिमाचल प्रदेश वित्त निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए रिफाइनैन्स किए गए लम्बी अवधि औद्योगिक ऋणों पर ऐसे उद्योगों से ब्याज की दर, जो सामान्य ऋण दर से 1 प्रतिशत कम होगी, ली जायेगी परन्तु लघुतर इकाईयों के लिये यह दर 3 प्रतिशत होगी जैसा कि नियम 12.1 में विनिर्दिष्ट है। सरकार ब्याज अनुदान सीधे तौर पर राज्य के वित्तीय संस्थानों और सम्बन्धित बैंकों को उपलब्ध करायगी।

18.2 विशेष श्रेणी उद्यमी जो प्राथमिकता वाली औद्योगिक इकाईयां स्थापित करेंगे वे नियम 16 में दिये गये अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं होंग । दूसरे शब्दों प्राथमिकता उद्योग सम्बन्धित प्रोत्साहन पैकज सभी श्रणी के उद्यमियों पर समान रूप से लागू होगा।

नोट.— 31-3-1990 से पहले स्थापित इलैक्ट्रोनिक इकाईयों को जी0 एम0 टी0/सी0 एस0 टी0 के संदाय से छूट दी गई थी 31-3-1990 और प्रभावी दिन के बीच क समय में स्थापित व इकाईयां भी नियम 18.1 (ख) म वर्णित प्रोत्साहन को प्राप्त करम की पात्र होंगी।

19. ऋण इकाईयों के लये योजना :

19.1 (क) पुनर्वास के लिए चिहिन्त इकाईयों को पिछले विक्रय कर देयों, जो नर्सिंग प्रोग्राम के दिन तक के हैं, आस्थगित संदाय की सुविधा दी जाएगी ।

(ख) निर्देशक उचित सलाहकार संघटनों से चिहिन्त इकाईयों का नैदानिक और पुनर्वास अध्ययन करवायेगा ताकि ऐसी इकाईयों के पुनर्वास प्रोग्राम उनके अनुरोध पर तैयार किया जा सके । परन्तु ऐसे अध्ययन पर प्रत्येक यूनिट के लिए अधिकतम खर्चा 5000/— रुपये तक निबन्धित होगा ।

(ग) उद्योग विभाग पुनरुत्थान प्रस्ताव , के ऋण तत्व पर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट की प्रतिपूर्ति करेगा, जिसे पुनर्वास प्लान में विनिर्दिष्ट नर्सिंग अवधि के दौरान चयनित इकाईयों के पुनर्वास के लिए वित्त संस्थान देगा । ऐसी प्रतिपूर्ति चिहिन्त इकाईयों को दी गई वास्तविक छूट के विरुद्ध वित्तीय संस्थानों को दी जायेगी ताकि प्रभावी ब्याज दर को सामान्य ब्याज दर से नीचे लाया जा सके जिसके लिए प्रश्नगत इकाई यह घोषणा-पत्र देगी कि उससे दण्ड स्वरूप, ब्याज, उस अवधि के दौरान जिसके लिए दावा किया गया है, लिया जा चुका है ।

(घ) पुनर्वास के लिए चयनित इकाईयों को, राज्य क्रय प्रोग्राम के अधीन उनकी उत्पादन की मद के लिए, बिना निविदा में भाग लिए, निदेशक उद्योग की सिफारिशों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए समानान्तर दर निविदा पर लिया जायेगा ।

(ङ) पुनर्वास के लिए चयनित इकाईयों को बिना पारी के उनकी सामान्य आवंटन की अधिकता में 25% तक कच्चा माल दिया जायेगा/जा सकेगा या इसके लिए सिफारिश की जायेगी ।

(च) ऊपर परिभाषित ऋण औद्योगिक इकाईयों, उनके पुनर्वास की अवधि के लिए उन द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर 1/2% रियायती बिक्री कर प्रभारित होगा, जैसा कि पुनर्वास कार्यक्रम बनाते समय विनिश्चित किया गया था या पुनर्वास पैकेज के संचालन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक अवधि न हो, इन में से जो भी पहले हो ।

20. निर्यात बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन :

20.1 निर्यात उन्मुख इकाईयां, (ई. ओ. यू.) निम्नलिखित प्रोत्साहन की हकदार होंगी, जो राज्य के के यथा उल्लेखित नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रोत्साहनों/सुविधाओं से अधिक होगी ।

20.1 (क) लघु इकाई को निर्यात नमूने की लदाई के लिए सहायता.—उद्योग विभाग किसी एक वित्तीय वर्ष में एस. एस. आई. इकाईयों द्वारा नजदीकी बन्दरगाह/आधान डिपो से गन्तव्य बन्दरगाह तक नमूनों के निर्यात की लदाई के लिए होने वाली लागत की प्रतिपूर्ति करेगा, जो नमूनों क लिए 5000 रुपये प्रतिप्रेषण और कुल 20,000 रुपय प्रति संस्था के अध्याधीन होगी । इस स्कीम के अधीन निदेशक उद्योग सहायता मंजूर और संवितरण करने को प्राधिकृत होंगे ।

(ख) मण्डी विकास सहायता :

(1) औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्यात मार्किटिंग विवरणिका और वस्तु उत्पादन के प्रकाशन पर आय व्यय के 50% जिसकी अधिकतम सीमा 5000/--रुपये प्रति इकाई, प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति उद्योग निदेशक द्वारा की जायेगी

(2) राज्य सरकार/भारत व्यापार मेल प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संगत विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने की लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति इकाई होगी, की प्रतिपूर्ति उद्योग निदेशक द्वारा औद्योगिक इकाई को की जायेगी । एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी इकाई को सहायता 15000 रुपये से अधिक नहीं दी जायेगी

20.2 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्यातिक इकाईयों को बिजली की कटौती से मुक्त रखा जायेगा ।

21. लघु सेवा संस्थान :

21.1 परिभाषित लघु सेवा संस्थान ऐसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार स्कीम के अधीन उपलब्ध है ।

22. सामान्य :

22.1 पूर्वोक्त प्रोत्साहनों को निर्वचन/कार्यन्वयन करने से यदि कोई विवाद पैदा होता है तो उसे हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (उद्योग) को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिनके निर्णय अन्तिम और सभी को आबद्धकर होंगे । विशेष मामलों में सरकार सब-कमेटी स्थापित कर सकती है और किसी विशिष्ट विवाद को अन्तिम निर्णय के लिए इसको निर्दिष्ट कर सकती है

अनुबन्ध-I

(जैसा कि इन नियमों के खण्ड 4 में वर्णित है)

श्रेणी "क" के औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदायें :

चम्बा	तीसा खण्ड
	सलौनी खण्ड
	भटियात खण्ड
	मैहला खण्ड
	पांगी खण्ड
	भरमौर खण्ड
हमीरपुर	बिजड़ खण्ड
	नदौन खण्ड
	भोरंज खण्ड
कांगड़ा	लम्बागांव खण्ड
	बैजनाथ खण्ड
	नगरोटा सूरियां खण्ड

कुल्लू	आनी खण्ड
	निरमण्ड खण्ड
	बन्जार खण्ड
मण्डी	रिवालसर खण्ड
	गोपालपुर खण्ड
	द्रंग खण्ड
	चौतड़ा खण्ड
	सेराज खण्ड
	करसोग खण्ड
	धर्मपुर खण्ड
सिरमौर	पच्छाद खण्ड
ऊना	बंगाणा खण्ड
शिमला	चौपाल खण्ड
	छुहारा खण्ड
लाहौल तथा स्पिती	केलांग खण्ड
	कांजा खण्ड
किन्नौर	कल्पा खण्ड
	निचार खण्ड
	पूह खण्ड

श्रेणी "ख" के औद्योगिक क्षेत्र व सम्पदायें :

बिलासपुर	बिलासपुर सदर खण्ड
	घुमारवीं खण्ड
	गेहड़वीं खण्ड
हमीरपुर	हमीरपुर खण्ड
	सुजानपुर खण्ड
	नदौन खण्ड
कांगडा	कांगड़ा खण्ड
	रेत खण्ड
	भवारना खण्ड
	नगरोटा बगवां खण्ड
	परागपुर खण्ड
	देहरा खण्ड
	पंचरूखी खण्ड

मण्डी	मण्डी सदर खण्ड सुन्दरनगर खण्ड
शिमला	रोहडू खण्ड रामपुर खण्ड ठियोग खण्ड जुब्बल खण्ड नारकण्डा खण्ड मशोबरा खण्ड
सोलन	कण्डाघाट खण्ड कुनिहार खण्ड
कुल्लू	कुल्लू खण्ड नगर खण्ड
चम्बा	चम्बा खण्ड

श्रेणी "ग" के औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदायें :

(क) जिला सोलन	धर्मपुर खण्ड नालागढ़ खण्ड सोलन खण्ड
(ख) जिला सिरमौर	पांवटा साहिब खण्ड नाहन खण्ड
(ग) जिला ऊना	ऊना खण्ड
(घ) जिला कांगड़ा	इन्दौर खण्ड नूरपुर खण्ड

इनके अतिरिक्त ऐसी औद्योगिक इकाईयों जो समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित नगरों शहरों में स्थापित की जायेगी वे भी इन वर्णित खण्डों की परिधी में सम्मिलित मानी जायेगी तथा उन सभी प्रोत्साहनों की पात्र होंगी जो इन नियमों के अधीन हैं ।

अनुबन्ध-II

प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

(जैसा कि इन नियमों के खण्ड 19 में उल्लेख है)

1. कृषि एवं बागवानी उत्पादन पर आधारित उद्योग ।
2. इलक्ट्रोनिक उद्योग जिसमें कम्पयूटर सौफ्टवेयर भी सम्मिलित हैं ।
   (सिवाय अनुबन्ध–3 के मद संख्या 40)

3. जड़ी बूटियों तथा एरोमैटिक उत्पादन पर आधारित उद्योग ।
4. ऊन पर आधारित उद्योग जिसमें अंगूरा ऊन भी सम्मिलित है ।
5. रेशम

अनुबन्ध-III

(जैसा कि इन नियमों के खण्ड II "क" में उल्लेख है)

बिक्री कर प्रोत्साहन प्राप्त करने में अयोग्य इकयाईयों की सूची :
(अस्थाई सूची)

1. फलोर मिल
2. चावल, दाल, अनाज एवं मसाला मिल
3. पापड़ बनाना, विविध मिठाईयां तथा कन्फैक्शनरी
4. ईंधन की लकड़ी तथा चारकोल का उत्पादन
5. तेल बीजों की पिलाई, भुनना, रंगना व सुगन्धित करना
6. बीजों से तेल निकालना
7. ब्रैड तैयार करना (आधुनिक मशीनरी के इलावा)
8. स्लैक मोम का शुद्धिकरण
9. कीटनाशक दवाएं
10. ट्रांसफारमर तेल
11. मोटी लोहे की तारें
12. तांबे की राख तथा अन्य व्यर्थ तांबे से तांबा धातु बनाना
13. स्टील रिरोलिंग
14. अमोनियम नाईट्रेट
15. नानपावर एसिड/स्लरी डिटर्जेंट
16. वायर ड्राईंग (स्टील)
17. कन्डयूट पाईप तथा वैल्डिंग फर्नीचर
18. स्टेनलैस स्टील पर आधारित उत्पादन जैसे घरेलू बर्तन, फाईबर ब्लेड, हास्पिटल उपकरण
19. तारें एवं एलमुनियम केबल्ज
20. जी0 पी0/जी0 सी0 शीटों पर आधारित उत्पादन
21. ब्राईट बार
22. जिंक आक्साईड
23. थिन्नर तथा फ्रैंच पालिश
24. वनस्पति घी तथा कच्चे तेल का शुद्धिकरण
25. सीमेंट
26. पैराफिन वैक्स पर आधारित उधोग
27. चूना भट्टी
28. कोल्ड स्टोर
29. आईस क्रीम, आईस कैन्डी तथा आईस फ्रूट
30. मुद्रणालय
31. राईस शैलर
32. काटन गिनिंग
33. हीट ट्रीटमैन्ट तथा इलैक्ट्रो ब्लेटिंग
34. मिन्नी स्टील प्लांट तथा इन्डेक्शन फरनेस
35. ब्लेडिंग पालिशिंग तथा ग्राईंडिंग इकाई
36. बूरी तथा फलों पर आधारित शराब उद्योग

37. खनिज एवं खनन उद्योग
38. सटोन क्रशर
39. जाब वर्क, कपड़ा रंगाई, बुनाई तथा छपाई को छोड़कर
40. इलक्ट्रोनिकस एसैम्बली यूनिटस्

अनुबन्ध-IV

[जैसा कि इन नियमों के खण्ड II (6) में उल्लेख है]

1. सीमेन्ट
2. स्टील इन्गोटस
3. रीरोल्ड स्टील सैक्शनस वायर रांड सहित
4. स्टील वायर कोटिड तथा अनकोटिड तथा वायर रोप
5. ए0ए0सी0/ए0सी0एस0आर0 कन्डैटर्स
6. कापर तथा एलुमिनियम वायर रांडस, केवलस तथा कन्डक्टर्स
7. कृषि तथा बागवानी पर आधारित वस्तुएं.
8. इलैक्ट्रोनिकस उपकरण
9. ऊन, रूई, रेशम तथा सिन्थेटिक यार्न
10. डिब्बा बन्द उद्योग
11. घड़ियां, घड़ियां उपकरण
12. प्लास्टिक उत्पादन जैसे चादरें, पाईप, फिल्म इत्यादि
13. फैरस कास्टिंग तथा अलांय
14. ग्लास
15. आयुर्वेदिक औषधियां
16. स्टील पाईप, काले तथा नालीदार
17. पी0 वी0 सी0 छत की चादरें
18. गाड़ियों के लए रबड़ उत्पादन
19. ट्रैक्टर के पुर्जे तथा गाड़ियों के सहायक उद्योग

अनुबन्ध-V

(जैसा कि इन नियमों के खण्ड 18 में उल्लेख है)

उद्योग का प्रकार 1	औद्योगिक क्षेत्र 2
1. कृषि बागवानी पर आधारित उद्योग :	
(1) सेब तथा गिरी वाले फल तथा अन्य	कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल तथा स्पिती, मण्डी चम्बा और सिरमौर जिला।
(2) नींबू प्रजाति तथा आम पर आधारित उद्योग	कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर; बिलासपुर और मण्डी जिला।

1	2
(3) आलूपर आधारित उद्योग	लाहौल तथा स्पिति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मण्डी तथा सोलन और कांगड़ा जिला ।
(4) मक्की पर आधारित उद्योग	सिरमौर बिलासपुर तथा सोलन जिला ।
(5) अदरक पर आधारित उद्योग	शिमला, मण्डी, कुल्लू, बिलासपुर हमीरपुर और कांगड़ा जिला ।
2. इलैक्ट्रोनिकस उद्योग जिनमें कम्पयूटर सांफटवेयर भी शामिल है ।	इलैक्ट्रोनिक स्थल जैसे चम्बाघाट, शोघी, जुब्बड़हट्टी, नगरी तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक स्थल जिनकी स्थापना की जायेगी ।
3. जड़ी बूटियों तथा एरोमैटिक पर आधारित उद्योग	पूरा राज्य
4. ऊन पर आधारित उद्योग (अंगोरा ऊन सहित)	पूरा राज्य
5. रेशम	पूरा राज्य

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।